भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1743

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

नीतिगत निर्णयों पर बड़े कारपोरेट घरानों का प्रभाव

1743. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर हाल के वित्तीय घोटालों के आलोक में, बड़े निगमों में कारपोरेट शासन को सुदृढ़ करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी सख्त विनियमों पर विचार कर रही है ताकि समाज कल्याण में कंपनियों के सार्थक योगदान को सुनिश्चित किया जा सके; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमों में बड़े निगमों सहित कंपनियों के प्रबंधन में कारपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता को सशक्त करने के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं। यह प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के माध्यम से कंपनियों के प्रबंधन के लिए जवाबदेही प्रदान करता है। अधिनियम और नियमों के तहत कंपनियों को निर्धारित प्ररूप में खाता बहियों, विभिन्न रिटर्नों और रजिस्टरों आदि बनाए रखने और उन्हें अपने पंजीकृत कार्यालयों में रखने की आवश्यकता होती है। अधिनियम के तहत लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन भी अधिदेशित किया गया है। कंपनियों को शेयरधारकों द्वारा सूचना और निर्णय लेने के लिए व्याख्यात्मक विवरणों के साथ-साथ अन्य अनुलग्नकों के साथ आम बैठकों के लिए नोटिस भी भेजने की आवश्यकता होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण भी शेयरधारकों को भेजे जाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास विभिन्न दस्तावेज, प्रस्तावों की प्रतियां, रिटर्न आदि फाइल करना अपेक्षित है। जोखिम प्रबंधन, वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न सहित बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटीकरण भी अधिदेशित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक प्रासंगिक जानकारी हितधारकों के साथ-साथ रजिस्ट्री में भी उपलब्ध हो। तदनुसार, जब भी कंपनियों की वित्तीय स्थिति में कोई अनियमितता रिपोर्ट की जाती है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विनियामक कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां अधिनियम और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों की पूर्ति के अध्यधीन अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी कार्यकलाप को प्रारंभ कर सकती हैं।

अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय की राशि के बारे में जानकारी प्रदान करना अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू होने वाले कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को भी अधिसूचित किया है, जिसके तहत लेखापरिक्षकों को किसी भी अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण देना आवश्यक है। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट किसी कंपनी के बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों के साथ संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है।

इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट हैं, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। जब भी सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो रिकॉर्ड की सम्यक जांच और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे निपटाया जाता है। इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान, फॉर्म फाइल करने आदि जैसे वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा सीएसआर निधि/कार्यकलाप के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है और कंपनियों की ओर से पारदर्शिता को बढ़ाता है।

*****